हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2/25 वकील वादी उप०/ पत्रावली वास्ते तलबी बंटवारा स्कीम हेतु दिनांक 28-2-25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बामनवास	
2/25 आज पत्रावली वकील वादी की ओर से दिनांक 6-2-2025 को प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश होने पर पत्रावली तलब की गई/ वकील वादी उप०/ वकील वादी को सुना गया/ पत्रावली में बंटवारा स्कीम प्राप्त हो चुकी है/ प्रकरण को अंतिम डिक्री किया जाता है/ पत्रावली वास्ते तैयार होने अंतिम निर्णय/ डिक्री हेतु पत्रावली दिनांक 14-2-2025 को पेश हो/ उपखण्ड अधिकारी बामनवास	
2/25 पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी उप०/ पत्रावली का अवलोकन किया गया/ निर्णय, डिक्री पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया/ पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे/ उपखण्ड अधिकारी बामनवास	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 42/2017	तारीख रजू. 13.7.2017	तारीख फैसला 14.2.2025

चंदन पुत्र श्रीकिशन मीना, निवासी झाड़ौली, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. पतराम पुत्र श्रीकिशन,
2. घनश्याम पुत्र श्रीकिशन,
3. जगन पुत्र रामदेव,
4. चिरंजी पुत्र रामदेव एवं
5. बृजलाल पुत्र रामदेव

सभी मीना, निवासी झाड़ौली, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

6. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बामनवास, जिला सवाई माधोपुर,
7. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर,
8. शखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा बामनवास एवं
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनैंसी एक्ट

निर्णय दिनांक: 14.2.2025

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादी

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

द्वारा कथन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 64 रकवा 0.12 हेक्टेयर, 71 रकवा 0.95 हेक्टेयर, 72 रकवा 0.75 हेक्टेयर, 73 रकवा 0.20 हेक्टेयर, 74 रकवा 2.21 हेक्टेयर व 99 रकवा 0.40 हेक्टेयर (कुल किता 6, कुल रकवा 4.63 हेक्टेयर) स्थित ग्राम बाढ़ झाड़ौली, तहसील बामनवास में वादी का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का 2/3 हिस्सा निहित है । आराजी खसरा नम्बर 130 रकवा 5.61 हेक्टेयर, 799 रकवा 0.07 हेक्टेयर, 918 रकवा 0.66 हेक्टेयर, 955 रकवा 0.16 हेक्टेयर, 956 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 957 रकवा 0.15 हेक्टेयर व 959 रकवा 0.14 हेक्टेयर (कुल किता 7, कुल रकवा 6.85 हेक्टेयर) स्थित ग्राम झाड़ौली, तहसील बामनवास में वादी का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/3 हिस्सा निहित है । इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 283 रकवा 0.08 हेक्टेयर, 371 रकवा 0.33 हेक्टेयर, 485 रकवा 0.73 हेक्टेयर, 824 रकवा 0.10 हेक्टेयर, 1035 रकवा 0.14 हेक्टेयर, 1036 रकवा 0.13 हेक्टेयर, 1037 रकवा 0.22 हेक्टेयर व 1038 रकवा 0.33 हेक्टेयर (कुल किता 8, कुल रकवा 4.06 हेक्टेयर) स्थित ग्राम झाड़ौली, तहसील बामनवास में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का समान हिस्सा, अर्थात 1/6, 1/6, 1/6 निहित है । वादी द्वारा आगे कथन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित संपूर्ण आराजियात् को पक्षकारान ने अपने अपने हिस्से अनुसार विभाजित किया हुआ है, पक्षकारान मौखिक रूप से काबिज होकर अपने अपने हिस्से पर काश्त कर हिस्से अनुसार सरकारी लगान अदा

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

करते चले आ रहे है । किन्तु विगत काफी समय से खातेदारान फसल काश्त करते समय पक्षकारों में फसल की कटाई आदि के समय हमेशा कहन सुन होती रहती है, वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजियात् का रिकॉर्डेड विभाजन कराने को कहा, परन्तु प्रतिवादीगण विभाजन को हर बार टालते रहते हैं, प्रतिवादीगण जानबूझकर आराजियात् का बंटवारा कराना नहीं चाहते हैं तथा अच्छी भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । वादी द्वारा आगे कथन किया गया है कि दिनांक 7.7.2017 को जब वादी अपने खेतों पर अपनी खातेदारी व हिस्से की भूमि पर देखभाल करने के लिए गया व खेतों में उग रही कीकरों को साफ करने लगा तो प्रतिवादीगण ने वहां आकर वादी को उसके हिस्से व खातेदारी की भूमि में जाने से रोक दिया तथा कहा, ''हम मौखिक विभाजन को नहीं मानते हैं, इस भूमि को हम ही जबरन काश्त करेंगें, यदि हमें काश्त करने से रोकोगे तो हम इस भूमि को भूमाफियाओं को बेच देंगें । यदि तुम्हें भूमि काश्त करनी है तो भूमि का रिकॉर्डेड विभाजन कराकर अपने हिस्से की भूमि को अलग करवा लो तथा अपना खाता अलग करवाकर ही भूमि में प्रवेश करना ।'' वादी के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 आपस में मिले हुए हैं तथा मौखिक विभाजन के अनुसार वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर कब्जा करके वादी की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं, इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें, वादी को

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

उसके हिस्से की भूमि के उपयोग, उपभोग व व कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न न करें, बिना विभाजन भूमि को खुर्द बुर्द न करें, किसी को हस्तांतरित न करें, रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को बनाये रखें। उपरोक्त वर्णित आराजियात् का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर खाते कायम किए जावें ।

प्रतिवादीगण को उक्त आशय के दावे के सम्मन प्रेषित किए गए लेकिन बावजूद तामील उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई जवाब पेश किया गया, इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद पत्र बाबत विभाजन का होने के कारण प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन स्कीम मंगवाई गई, जिस पर तहसीलदार बामनवास द्वारा विभाजन स्कीम मय नजरी नक्शा पेश की गई ।

वादी की ओर से बहस एक पक्षीय अंतिम रूप से सुनी गई । बहस के दौरान वकील वादी द्वारा तहसीलदार बामनवास की ओर से प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं की गई तथा बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया ।

हमारे द्वारा बहस सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व वकील वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का उपरोक्त वर्णित आराजियात् में सहखातेदार होना स्पष्ट

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

है, तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम पर किसी भी पक्ष की कोई आपत्ती नहीं है, प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई जवाब आदि भी पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र या उसके कथनों का खण्डन नहीं किया गया है, ऐसे में वादी का वाद पत्र विभाजन स्कीम के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम झाड़ौली स्थित खाता संख्या 69 में वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 799 रकवा 0.07 हेक्टेयर, 130/1 रकवा 1.99 हेक्टेयर (कुल किता 2, कुल रकवा 2.06 हेक्टेयर) (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित लाल रंग के अनुसार) का वादी को तथा खसरा नम्बर 130/2 रकवा 3.62 हेक्टेयर, 955 रकवा 0.16 हेक्टेयर, 956 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 957 रकवा 0.15 हेक्टेयर, 959 रकवा 0.14 हेक्टेयर (कुल किता 5, कुल रकवा 4.13 हेक्टेयर) (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित हरे रंग के अनुसार) का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को तथा खसरा नम्बर 918 रकवा 0.66 हेक्टेयर (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित नीले रंग के अनुसार) का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को तथा इसी प्रकार ग्राम झाड़ौली में स्थित आराजी खसरा नम्बर 50 में अंकित भूमि में से

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 1038/2 रकवा 0.14 हेक्टेयर, 824/1 रकवा 0.02 हेक्टेयर, 371/1 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 283/1 रकवा 0.35 हेक्टेयर, 485/1 रकवा 0.12 हेक्टेयर (कुल किता 5, कुल रकवा 0.68 हेक्टेयर) (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित लाल रंग के अनुसार) का वादी को तथा खसरा नम्बर 1038/1 रकवा 0.13 हेक्टेयर, 1038/3 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 1037 रकवा 0.22 हेक्टेयर, 1036 रकवा 0.13 हेक्टेयर, 1035 रकवा 0.14 हेक्टेयर, 824/2 रकवा 0.08 हेक्टेयर, 371/2 रकवा 0.28 हेक्टेयर, 283/2 रकवा 1.73 हेक्टेयर, 485/2 रकवा 0.61 हेक्टेयर (कुल किता 9, कुल रकवा 3.38 हेक्टेयर) (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित हरे रंग के अनुसार) का प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को तथा इसी प्रकार ग्राम बाढ़ झाड़ौली स्थित खाता संख्या 26 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 99 रकवा 0.40 हेक्टेयर, 74/1 रकवा 1.14 हेक्टेयर (कुल किता 2, रकवा 1.54 हेक्टेयर) (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित लाल रंग के अनुसार) का वादी को तथा खसरा नम्बर 64 रकवा 0.12 हेक्टेयर, 71 रकवा 0.95 हेक्टेयर, 72 रकवा 0.75 हेक्टेयर, 73 रकवा 0.20 हेक्टेयर, 74/2 रकवा 1.07 हेक्टेयर (कुल किता 5, कुल रकवा 3.09 हेक्टेयर) भूमि (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित हरे रंग के अनुसार) का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
ब्रामनवास

Scanned with CamScanner

घोषित किया जाता है । तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम व उसके साथ प्रस्तुत किया गया नजरी नक्शा डिक्री के भाग रहेंगें, प्रतिवादी संख्या 6, 7 व 8 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस पक्षकार द्वारा अपना जितना हिस्सा किसी बैंक के पक्ष में रहन रखा हुआ है, उतना ही हिस्सा सम्बन्धित बैंक के पक्ष में विभाजन में निर्धारित स्कीम के अनुसार विभाजित हिस्से पर रहन रखा हुआ माना जायेगा । डिक्री तदनुसार तैयार की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(बृजेन्द्र मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 14.2.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner